

पिछले एक साल से इस समस्या का स्थाई निराकरण नहीं कर पाया है जीएमसी

हमीदिया में इंटरनेट समस्या का नहीं स्थाई समाधान,मरीज हो रहे परेशान

● भोपाल / राज न्यूज नेटवर्क

लाख कोशिशों के बावजूद हमीदिया अस्पताल में इंटरनेट की समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो पा रहा है। जबकि इसके लिए पिछले एक साल से कवायद चल रही है। सोमवार को भी अस्पताल संचालक शुरू होते ही इंटरनेशनल पर इंटरनेट में परेशान किया। सप्ताह में यह दूसरी बार समस्या बनी है।

चार दिन पहले गुरुवार को भी इस समस्या ने मरीजों को परेशानी में डाला। अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना है कि वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सिस्टम यह लोड सहन नहीं कर पा रहा है। इसलिए बार-बार यह समस्या बन रही है।

इधर इन हालातो में मरीजों कै दिक्कतें उठनी पड़ रही हैं। एमआरआई, सोनोग्राफी, पंच काउंटर और दवा वितरण केंद्रों पर परेशानी बढ़ रही है। सोमवार सुबह 15 मिनट के लिए इंटरनेट ने परेशान किया। प्रातः 9:00 से 9 बजकर बीस मिनट तक इंटरनेट की समस्या



समस्या ज्यों की त्यों है। हालांकि गांधी मेडिकल कॉलेज का कहना है कि समस्या का समाधान करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है। यह दिक्कत मामूली है। वर्कलोड ज्यादा या फिर मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण इस प्रकार की समस्या सामने आ रही है।

सर्दी खांसी के तेजी से बढ़ रहे हैं रोगी

हमीदिया अस्पताल में सर्दी खांसी के रोगियों में तेजी से वृद्धि हुई है। डॉक्टरों का कहना है की बारिश का सिलसिला एक प्रकार से थम चुका है। डॉक्टरों का कहना है मरीजों में तेजी से वृद्धि होती है। क्योंकि धूल का गुबार सीधे फेफड़ों पर असर कर पा रहा है। सर्दी उल्टी दस्त के रोगियों में वृद्धि हो रही है। लोगों का खानपान और अनियमित दिनचर्या इसमें प्रमुख वजह है।

नया मोड़ आबकारी विभाग द्वारा 500 पेटी शराब और वाहन जल्ती का मामला

लाइसेंसी ने दिया आवेदन, वैध परिवहन का दावा

● भोपाल / राज न्यूज नेटवर्क

बैरसिया थाना क्षेत्र में 500 पेटी शराब और वाहन जल्ती के मामले में नया मोड़ आ गया है। संबंधित लाइसेंसी डीआर वाईने के पोर्टनर संजय मिश्रा ने सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल वीरेंद्र सिंह धाकड़ को आवेदन देकर दावा किया है कि जन्त शराब का परिवहन वैध दस्तावेजों और परिवहन पास के आधार पर किया जा रहा था तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। साथ ही जन्त शराब व वाहन वापस दिलाया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर समाप्त की जाए। आवेदन में बताया गया है कि लाइसेंसी के पास

वर्ष 2026-27 के लिए भोपाल जिले की कंपोजिट मदिरा दुकानों के वैध लाइसेंस हैं। उनके अनुसार 24 सितंबर 2026 को कर्मचारी विनय सिंह द्वारा देशी मदिरा प्लेन की 300 पेटी तथा मसाला मदिरा की 200 पेटी, कुल 500 पेटी शराब वाहन एम्पपी-04 डब्ल्यूबी-7618 से परिवहन पास के आधार पर कंपोजिट मदिरा दुकान हिरनखेड़ी ले जाई जा रही थी। आवेदन में दावा किया कि रास्ते में हिरनखेड़ी दुकान के सेल्ट्समैन ने चालक को फोन कर अतिरिक्त शराब की आवश्यकता बताई। इसी दौरान तरावली जोड़ पर कुछ लोगों ने वाहन को रोक लिया और चालक को अपने साथ ले गए। लाइसेंसी, धारक का कहना है कि वाहन से कुछ

पेटियां उतारने के बाद अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद बैरसिया पुलिस मौके पर पहुंची और शराब व वाहन को जन्त कर लिया।

लाइसेंसी ने आवेदन में कहा है कि शराब की निकासी और परिवहन वैध दस्तावेजों एवं स्वीकृत परिवहन पास के आधार पर किया गया था। इसके बावजूद चालक, वाहन और शराब के संबंध में थाना बैरसिया में प्रकरण दर्ज किया गया। आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता ने आबकारी विभाग को वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं ताकि जांच करने में आसानी हो।

विभाग कर रहा जांच

गोरातलब है कि पुलिस ने मामले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर 500 पेटी शराब और वाहन जल्त किया है। वहीं लाइसेंसी के आवेदन के बाद मामले में जांच का एक नया पहलू सामने आया है। अब आबकारी विभाग और पुलिस की जांच में यह स्पष्ट होगा कि परिवहन पूरी तरह वैध था या नहीं। आकारी विभाग प्राप्त हुए आवेदन की जांच कर रहा है।

बीफ न्यूज

आईपीएस में भक्तिमय छत्रछाया का आयोजन

भोपाल। आईपीएस में ग्रैंड पेटेंट डे का आयोजन किया गया। इस दौरान शाला के बच्चों द्वारा नृत्य नाटिका की भक्तिमय प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं हिंदी रजिस्ट्रार आरजीवीपी डां सुबोध पांडे, एसोसिएट प्रॉफेसर मैनिट डां अल्पना पांडे मौजूद थीं। शाला के डेयरमेन अशोक नंदा एवं प्रचारिंद दीप्ती सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। समारोह के अंत में ब्लूमिंग वसु की कोआर्डिनेटर हिमांगी भी खड़े ने अग्रज व्यक्त किया।



विवाद में नाबालिग ने युवक के पेट में घोंपा चाकू

भोपाल। पिपलानी थाना क्षेत्र में रविवार दोहवार पुरानी बात को लेकर हुए विवाद में बात अपचारी ने बाइक सवार युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पचास व्वाटरेट झुगुगी क्षेत्र निवासी अरुण वर्मा (26) रविवार दोहवार करीब डेढ़ बजे साथी अभिषेक के साथ बाइक से घर लौट रहा था। वर्मा ग्राउंड के पास पहुंचने पर इलाके में रहने वाले बाल अपचारी ने आवाज देकर बाइक रुकवा ली। इसके बाद पुरानी बात को लेकर अरुण से गाली-गलौली करने लगा। विवाद बढ़ा तो नाबालिग ने चाकू से हमलाकर घायल कर दिया। साथी अभिषेक ने घायल अरुण को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मौलिक आरोपी पर पहले से पांच गंभीर अपराध दर्ज हैं।

चालक को शराब पिलाकर ट्रक लेकर भागे

भोपाल। खजुरी सड़क इलाके में लिफ्ट लेकर ट्रक में सवार हुए दो युवकों ने चालक को शराब पिलाने के बाद उसका करीब 20 लाख रुपए कीमत का नया ट्रक चोरी कर लिया। आगरा निवासी धर्मेवीर सिंह जाट (53) रविवार सुबह करीब चार बजे पीथमपुर से बिना नंबर का नया आयरर ट्रक लेकर झारखंड के लिए निकले थे। देवास के पास दो युवकों ने भोपाल जाने के लिए लिफ्ट मांगी। 400 रुपए किराया तय होने के बाद दोनों ट्रक में बैठ गए। शाम करीब सात बजे बरखेड़ा बंदर के पास दोनों युवकों ने चालक के साथ शराब पी। इसके बाद उसे पानी लेने के लिए पास की झुमटी पर भेज दिया। धर्मेवीर ट्रक की चाबी लगी छोड़कर पानी लेने चले गए। वापस लौटें तो दोनों युवक और ट्रक गायब थे। पुलिस को ट्रक में लगे जीपीएस से उसकी लोकेशन गुगला की तरफ मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान नर्सरी कॉलोनी, तराईझा इंदौर निवासी सुनील राठौर (30) और राहुल परिहार (32) के रूप में हुई है।

झाड़वर पर धारदार हथियार से किया हमला

भोपाल (आरएफएन)। गांधी नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात सड़क पर खड़े युवकों को हटने के लिए कहना केब बाइक को भारी पड़ गया। आरोपियों ने पहले उड़ें से उसकी कर के आगे और पीछे के कांच तोड़ दिए। इसके बाद चालक के साथ भारपीट कर धारदार हथियार से हमला कर दिया। रवि मीना रविवार रात वह एयरपोर्ट रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से कार लेकर गुजर रहा था। वहां कुछ युवक सड़क घेरेकर खड़े थे। रवि ने उन्हें रास्ते से हटने के लिए कहा। इस बात पर युवक भड़क गए और उन्होंने रवि की ओरा कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। रवि ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उसके साथ भारपीट करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत एवं वाणिज्यिक कार्यालय - 502, टॉवर-ए, पैनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बाग, मांसा, लोअर पेरेल, मुंबई-400013
मंडल कार्यालय - 9-बी, द्वितीय फ्ल, पुरा सैक, राजेंद्र भैरव, नई दिल्ली-110060

सर्वजनिक सूचना
इसके द्वारा 1. श्री संतोष सेन (क्रेनकाली) 2. श्रीमती गौरा सेन (सह-क्रेनकाली) अकाउंट नंबर LNHLGAJ000089175 (पुराना) / 51200000703563 (नया) को सूचित किया जाता है कि मेसर्स की स्वीकृत हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी सिस्टिवाई एस्टेट वाली 'प्रोपर्टी " ए रेसिडेंशियल प्लॉट हरिया 800 वर्ग फीट, ग्राम सल्लमनगर में स्थित, प्लॉटनरी इस्का नंबर 46 प्लॉट नंबर B-84, जो सडार नंबर 234/1, तहसील गंज बालीवा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश-464221 के समी और और मगर। सीमाएँ:- उत्तर- कुसुमी सेना का प्लॉट, दक्षिण: बिकेला की भूमि, पूर्व: अहिथार का प्लॉट, पश्चिम: गली 20 फीट। ऊपर बताई गई प्रोपर्टी का फिजिकल कब्जा 23/09/2026 को सफेदी आदेश के तत्समन-14 के तहत लिया गया था, जो (संक्षिप्त) ने हिल्कोर्टिडाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनंशियल एस्टेट्स एंड एकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंटी इंटरनेट एक्ट, 2002 के सेक्शन 14 के तहत प्राप्त किया था। कबले की तारीख से आपको बताई गई प्रोपर्टी से चाल-अवल सामान हटाने के लिए कई नोटिस भेजे जा चुके हैं। लेकिन, आपने बताई गई जगह से चाल-अवल सामान हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि वे इसे हटें और इस नोटिस के पक्षिर्वा होने के 15 दिनों के अंदर बांध से संपर्क करें, ऐसा न करने पर हम बिना किसी और नोटिस के सामान को अनजान और बिना दावे वाली प्रोपर्टी के तौर पर हटाने का हक होगा।

स्थान : विदिशा
दिनांक : 29-09-2026

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैपी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएफएल) के लिए

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड				
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निर्माण कार्यालय: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड्र स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020				
कम्पना नोटिस				
जबकि ओबोलेतासकनता आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड का अधिभुक्त अधिकारी होने हुए "विशेष आस्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने एवं प्रतिभुति हित प्रबर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13 (12) और सल्लमनगर प्रोपर्टी हित (अवलेन) नियम के नियम 9 के तहत प्रवर्त संचितियों के अनुबन्धन में अधिभुति का मोरा सुचना पत्र जारी किया गया, जिसे जिलापत्र में इसके सम्मते अतिरिक्त सूचना के तहत प्रवर्तन के 60 दिनों के अंदर प्रवर्तन करने की मांग की गयी। यह है कि जगुगी सम्पत्तियों सहितों का भूतलान करने में विफल रहे अतः, अधिभुति तथा आवा जगुगी का सुचना दे जाती है कि ओबोलेतासकनता ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) सल्लमनगर नियम 9 के नियमों के तहत प्रवर्त शक्तियों के अनुबन्धन में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिभुत तालिकना में अपने सम्मते दरवाई गई दिनांक को श्रृंगल कर लिया है। अधिभुति व जगुगीधर्मी को विशिष्ट तथा स्वतःसाधारण को सामान्यतया एवम् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सम्मते दरवाई गई बकाया राशि उपा उन पर ख्यात व खर्चों के लिए आवास फाइनेंस आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के प्रभार के अधिनवी होगा।				
अध्यापी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कबले की तारीख एवं प्रकार	
दुर्गा प्रसाद, टीना देलर खाता सं. 2411206404637514	14 जुलाई 2026 ₹ 210126/- 14 जुलाई 2026	पीएच एन 61, खसरा नं. 110, 112, 122, ग्राम ताण्डियाहाडी तहसील-जीरापुर जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश (भारत)-465691/ क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट	संकेतिक कम्पना दिनांक 24 सितम्बर 2026	
पेप कुंवर, प्रहलात सिंह, जयराज सिंह भारी खाता सं. 211206401936216 & 251206404973656	7 जुलाई 2026 ₹ 591203/- व ₹ 362943/- 5 जुलाई 2026	म.नं. 27, पी.एच. नं. 18, वार्ड नं. 03, ग्राम हताईखेड़ा, राजगढ़ मध्य प्रदेश 465661 क्षेत्रफल 1708 वर्ग फीट	संकेतिक कम्पना दिनांक 24 सितम्बर 2026	
सुनीला, राम गोपाल जगननन्दार / सुल्लान सिंह खाता सं. 221206402575017	7 जुलाई 2026 ₹ 531809/- 5 जुलाई 2026	मकान नं. 12, पी.सी. नं. 09, ग्राम घणुखेड़ा, तहसील-खुशाली, जिला-राजगढ़, मध्य प्रदेश 465661 क्षेत्रफल 1840 वर्ग फीट	संकेतिक कम्पना दिनांक 24 सितम्बर 2026	
मनीषा, शोभित सोनिया, रोह सिंह खाता सं. 221206402371554	7 जुलाई 2026 ₹ 916822/- 5 जुलाई 2026	मकान नं. 02, पी.एच. नं.-15, ग्राम लख्य तहसील खुसुनेर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश 465661 क्षेत्रफल 1540 वर्ग फीट	संकेतिक कम्पना दिनांक 24 सितम्बर 2026	
गायत्री कुंवर, छगन सिंह झाला, देवेन्द्र सिंह झाला, महेन्द्र सिंह झाला खाता सं. 2212064042806337	7 जुलाई 2025 ₹ 1184500/- 4 जुलाई 2025	पीएच नं. 43 सर्वे नं. 251/ 1 खाता नं. 154 वार्ड नं. 02 कम्पा-चोहर वार्ड नं. 02 (नया वार्ड नं. 03) पदम पुरा रोड पचौर एस.ओ. 0 राजगढ़ मध्य प्रदेश (भारत)-465683 / क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट	संकेतिक कम्पना दिनांक 24 सितम्बर 2026	
ऊना देवी विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा खाता सं. 2412064040637514	7 जुलाई 2026 ₹ 1074935/- 5 जुलाई 2026	म.नं. 194, पी.एच. नं. 20, वार्ड नं. 01, खांदी सुधालिया, तहसील-खुशालिया, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश 465677 क्षेत्रफल 1150 वर्ग फीट	संकेतिक कम्पना दिनांक 24 सितम्बर 2026	
राधेय्याम वर्मा, लाड बाई खाता सं. 251206404918495	7 जुलाई 2026 ₹ 13865/- 5 जुलाई 2026	म.नं. 124, पाना टोडी पर स्थित तहसील सुधालिया जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश 465677 क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट	संकेतिक कम्पना दिनांक 24 सितम्बर 2026	
इन्दर यादव, सीला यादव, सीला बाई खाता सं. 251206404907114	7 जुलाई 2026 ₹ 309681/- 5 जुलाई 2026	म.नं. 92, खसरा नं. 92, ग्राम बरखेड़ा, तहसील ख्यारा, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश 465674 क्षेत्रफल 121 वर्ग फीट	संकेतिक कम्पना दिनांक 24 सितम्बर 2026	
अनिकेत धाकड़, रयाम बाई धाकड़, अमन धाकड़, लोलतराम धाकड़ खाता सं. 251230705234295	7 जुलाई 2026 ₹ 264274/- 5 जुलाई 2026	खसरा नं. 441, पी.एच. नं. 04 व न्यू 60, ग्राम पंचावात रालोटा तहसील मकसुदनगर जिला गुना मध्य प्रदेश 473287 क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट	संकेतिक कम्पना दिनांक 24 सितम्बर 2026	
दिनांक : 29-09-2026			प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड	

किचन का काम नहीं

करने पर 2 लाख 7 हजार रुपए का जुर्माना

● भोपाल / राज न्यूज नेटवर्क

एडवांस लेने के बाद भी मांडवूलर किचन का काम तय समय पर शुरू नहीं करने और अग्रिम राशि वापस करने से इनकार करने पर जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल ने सोमवार को होम इंटीरियर कंपनी को उपभोक्ता को 2.07 लाख रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। इसमें 1.99 लाख रुपये की अग्रिम राशि और 8 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के शामिल हैं। दरअसल करीद निवासी रीना सिंह ने घर की किचन को मांडवूलर करवाने के लिए लिक्सेस होम इंटीरियर कंपनी को 3.96 लाख में 50 प्रतिशत रकम जमा कराई थी। इसके बाद तय अवधि में काम नहीं किया और न ही राशि लौटाई। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानकर दोषी ठहराया। रीना ने मार्च 2026 में जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की। उन्होंने वर्क ऑर्डर, ऑनलाइन भुगतान की रसीद, ई-मेल, कानूनी नोटिस और डाक संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए। कंपनी को नोटिस मिलने के बाद भी उसकी ओर से जवाब नहीं दिया गया। आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल, सदस्य डॉ. प्रतिभा पोंडेय और डॉ. संजीव सिंह की बेंच ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि राशि लेने के बावजूद तय समय में काम पूरा नहीं करना और अग्रिम राशि वापस नहीं करना सेवा में कमी है।

सीएसआर से होंगे आंगनवाड़ी महिला-बाल विकास के काम

30 सितंबर को भोपाल में होगा राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन, मंत्री निर्मला भूरिया करेंगी शुभारंभ

● भोपाल / राज न्यूज नेटवर्क

प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के समावेशी विकास में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की भागीदारी बढ़ाने के लिए 30 सितंबर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय सीएसआर भागीदारी कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इसमें महिलाओं और बच्चों में निवेश : मप्र के समावेशी विकास के लिए सीएसआर की संभावनाओं का उपयोग विषय पर होने वाले सम्मेलन का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया करेंगी।

कॉन्क्लेव में उद्योग जगत, कॉरपोरेट संस्थानों, सीएसआर फाउंडेशन, सामाजिक संगठनों और विकास संस्थाओं के प्रतिनिधि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं में दीर्घकालिक और परिणाम आधारित साझेदारी की संभावनाओं पर मंथन करेंगे। इसमें आंगनवाड़ी अधोसंरचना के

मैदानी अमला बताएगा जमीनी जरूरतें

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने मैदानी अनुभव साझा करेंगे। इससे कॉरपोरेट प्रतिनिधियों को महिला एवं बाल विकास योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों और वास्तविक जरूरतों को समझने का अवसर मिलेगा। खुले संवाद सत्र में कॉरपोरेट और सामाजिक क्षेत्र से सुझाव लिए जाएंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में विभिन्न संस्थानों की ओर से सहयोग के संकल्प, सहयोग में रुचि-पत्र और आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

आधुनिकीकरण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण और मैदानी कार्यबल की क्षमता निर्माण को सीएसआर निवेदक प्रमुख क्षेत्रों के रूप में सामने रखा जाएगा।

सरकार-कॉरपोरेट साझेदारी पर होगा फोकस

कॉन्क्लेव में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्राथमिकताओं, प्रदेश में सीएसआर की वर्तमान स्थिति और संभावित निवेश क्षेत्रों पर प्रस्तुतियां होंगी। विभाग की सचिव जी.टी. रश्मि मानव संसाधन विकास में कॉरपोरेट सीएसआर की भूमिका और संभावनाओं पर मुख्य वक्तव्य देंगी। आयुक्त महिला एवं बाल विकास संदीप जी.आर., सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच विकास साझेदारी की आवश्यकता और संभावनाओं की जानकारी देंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिक सक्षम, आधुनिक और बाल-अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों पर विशेष सत्र होगा। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और मैदानी अमले की क्षमता निर्माण पर भी चर्चा होगी। एम्स भोपाल के डॉ. अरुण कोंकणी मप्र में कुपोषण की स्थिति और उसके समाधान के उपायों पर प्रस्तुति देंगे।

वन कर्मियों को डीपीसी में राहत की मांग

● भोपाल / राज न्यूज नेटवर्क

वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों की पदोन्नति में राजस्व के मामलों में की जा रही वसूली बाधा बन रही है। मध्यप्रदेश वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक से ऐसे कर्मचारियों को आगामी पदोन्नति में राहत देने की मांग की है। संघ ने राजस्व और नवंबर 2026 में होने वाली पदोन्नति समितियों की बैठकों में संबंधित मामलों को पदोन्नति में

बाधक नहीं मानने का अनुरोध किया है। संघ के प्रांताध्यक्ष रामयश मौर्य ने 28 सितंबर को पीसीसीएफ को भेजे पत्र में कहा है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत वनसंरक्षक से लेकर वनक्षेत्रपाल तक राजस्व अपलेखन के मामलों में नियमों में 2000 रुपये तक की छूट का प्रावधान है। इसके बावजूद संबंधित आदेश पर विचार किए बिना कर्मचारियों से 2000 रुपये तक की वसूली की जा रही है।

HINDUJIA HOUSING FINANCE
श्रेतीय कार्यालय - कार्यालय संख्या 153, ऑर्बिटल प्ल, पहली मंजिल, कियत नगर चौक, ई.पी. रोड, इंदौर, म.प्र. -452010
Email - auction@hindujahousingfinance.com

निविदा आमंत्रण सूचना
निविदा प्रपत्र की निविदा राशि, रोडवर राशि एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य प्रस्तुत करने होंगे। समस्त विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। यदि किसी प्रकार का संशोधन होता है तो वह website पर प्रदर्शित होगा। यह पृथक से समागार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
नि.क्र. 784/026/027

क्र.	अर्जितानां थेयर नं.	कार्य स्थल का नाम	अनुमानित राशि	बरोबर राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत	थेकेदार की श्रेणी	कार्य हेतु निविदा एत औ आर	निविदा की अवधि	कार्य की अवधि
1	2026- UAD 539248, 1	STREET LIGHTING ARRANGEMENT (RS) POLES, CALES, LED, LIGHTS, 04 NOS MINI HIGHMAST, LED FLOOD LIGHTS (20 NOS) AT VARIOUS PLACES IN WARD 01, ZONE 20 AREA UNDER BMC BHOPAL	1363742/-	10228/-	2000/-	Registered Electrical contractor in centralized registration system in MPPWD having valid electrical license	MP/UAOD SOR Works, 2021	30 दिन	01 Months

HINDUJIA HOUSING FINANCE
श्रेतीय कार्यालय - कार्यालय संख्या 153, ऑर्बिटल प्ल, पहली मंजिल, कियत नगर चौक, ई.पी. रोड, इंदौर, म.प्र. -452010
Email - auction@hindujahousingfinance.com

हिन्दुजा हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: 167-169, द्वितीय फ्ल, लिडिल मार्केट मेडुले स्टेशन, सांघेय, केन्द्रे-600015
श्रेतीय कार्यालय - कार्यालय संख्या 153, ऑर्बिटल प्ल, पहली मंजिल, कियत नगर चौक, ई.पी. रोड, इंदौर, म.प्र. -452010
Email - auction@hindujahousingfinance.com

निजी समझौते के माध्यम से बिक्री की सूचना
SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत MHFL को गिरवी रखी गई अवल संपत्तियों की बिक्री
नियम 8(8) और 9(1) के परंतुक के साथ पढ़ा जाए

अधोस्तराहरी, एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में, एसआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित अरक्षित संपत्ति निजी संधि/सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से एचएचएफएल द्वारा सौचालय शर्तों पर, 'जैसा है जहां है', 'जैसा है वैसे ही' और 'जो कुछ भी उपलब्ध है' के आधार पर, अपने बकाया की वसूली के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध है।	MP/SGR/SAGR/A000001092 श्रीमती गिराजाबाई खुसरो श्री सुरेश खुसरो	बकाया राशि - अरक्षित मूल्य - ईएमपी - कड़वा की तारीख -	Rs 7,20,944/- Rs. 73,00,000/- Rs. 23,00,000/- 23-02-2026	ईएमपी जमा करने की अंतिम तिथि - शाम 5 बजे तक ई-नीलामी की तिथि/समय - सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बोली वृद्धि राशि: ₹100000/-	14-10-2026 15-10-2026
---	---	--	---	--	--

ससरा नंबर 838, वार्ड नंबर 08, सफ्राट अशोक वाई, बेदनखेड़ी बायपास, बसोदी, शहरी, तहसील बसोदी, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, भारत, 464221, कुल क्षेत्रफल 480 वर्गफुट। सीमाएं - पूर्व-मालवेली जी का घर, पश्चिम-खुसरोजी जी का घर, उत्तर-बेदनखेड़ी बायपास रोड, दक्षिण -मालवेली जी का प्लॉट	MP/HBD/HO/SH/A000000422 श्री सतीश यादव श्री दुर्गा बाई	बकाया राशि - अरक्षित मूल्य - ईएमपी - कड़वा की तारीख -	Rs 19,21,896/- Rs. 15,37,000/- Rs. 1,53,700/- 22-10-2025	ईएमपी जमा करने की अंतिम तिथि - शाम 5 बजे तक ई-नीलामी की तिथि/समय - सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बोली वृद्धि राशि: ₹100000/-	14-10-2026 15-10-2026
---	--	--	---	--	--

वाई क्रमांक 17 मोड। डोंगरी डिवाइज नगर पटवारी हिल्स। क्रमांक 14 ससरा क्रमांक 51/4, 51/5 तहसील नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट। संपत्ति की सीमा - पूर्व - कॉलोनी रोड, प